

भारतीय नागरिक को सिर्फ वैध धन देने के नियम

1. जिस दिन से भारत मे । जीसियो नियम प्रभावी होगा । उसी दिन से य । भारतीय नागरिक को सिर्फ । वैध धन देने । के नियम पर । काम सुरु होगा ।

सरकारी कर्मचारी को सिर्फ वैध धन देने के नियम

यदि वेतन और खर्चा का तालमेल सही है

1. सरकारी कर्मचारी । जिस दिन से कार्यरत हुआ है । उसी दिन से ।
2. सरकारी कर्मचारी के वेतन के अनुसार । परिवार के सदस्यों की संख्या पर खर्चा ।
3. रहन सहन की । स्थिति पर खर्चा । जेवर । नग पर खर्चा । वाहन पर खर्चा ।
4. घर । जमीन । दुकान । बंगला । प्लाट । फ्लैट । खेती जमीन । का खर्चा । आदि सबका आकलन करके ।
5. यदि सरकारी कर्मचारी का । वेतन धन के अनुसार । खर्चा का तालमेल । सही है ।
6. तो सरकारी कर्मचारी । और उसकी पत्नी । और उसके 21 वर्ष से कम बच्चों को ।
7. जीसियो नियम अधिकृत । जमा किए हुए धन मे से । जेवर य नग । उपयोग करने के लिए । मिलेंगे ।

यदि वेतन और खर्चा का तालमेल सही नहीं है

1. यदि सरकारी कर्मचारी का । वेतन धन के अनुसार । खर्चा का तालमेल । सही नहीं है ।
2. तो सरकारी कर्मचारी । और उसकी पत्नी । और उसके 21 वर्ष से कम बच्चों को ।
3. जीसियो नियम अधिकृत । जमा किए हुए धन मे से । जेवर य नग । उपयोग करने के लिए । नहीं मिलेंगे ।

सरकारी नौकरी करते हुए कोई अवैध प्रतिष्ठान

1. यदि सरकारी कर्मचारी । सरकारी नौकरी करते हुए । कोई अवैध काम करता है ।
2. जैसे । स्कूल । कालेज । य कोई भी शिक्षण संस्थान । टियूशन क्लासेस चलाता है । दुकान । होटल । लाज । जमीन का व्यापार । खेती । कम्पनी । कारखाना । मिल । ठेकेदारी । ट्रान्सपोर्ट । आदि य अन्य कोई काम । जो सरकारी नौकरी । करने वाले को अवैध है ।
3. और उसमे सरकारी नौकरी वैध । धन के सिवा । रिस्वत य घूसखोरी । य किसी भी अन्य गलत रास्ते से । कमाया हुआ धन । लगा है ।
4. जो सरकारी कर्मचारी के । वेतन धन के अनुसार । खर्चा का तालमेल । सही नहीं है । तो

सरकारी कर्मचारी के अवैध धन के । अवैध प्रतिष्ठान पर भारत सरकार का अधिकार

1. यदि सरकारी कर्मचारी । रिस्वत । य घूसखोरी के अवैध धन से । अवैध प्रतिष्ठान चला रहा है । तो उस सरकारी कर्मचारी के । अवैध प्रतिष्ठान पर ।
2. सभी । स्कूल । कालेज । य कोई भी शिक्षण संस्थान । टियूशन क्लासेस । दुकान । होटल । लाज । जमीन का व्यापार । खेती । कम्पनी । कारखाना । मिल । ठेकेदारी । ट्रान्स पोर्ट । आदि । अन्य कोई भी काम पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. भारत सरकार । सरकारी कर्मचारी के किसी भी । अवैध प्रतिष्ठान को । सरकारी कर्मचारी को न देकर । किसी अन्य योग्य व्यक्ति को । उचित भाडे पर चलाने के लिए देगी ।
4. सरकारी कर्मचारी । सरकारी नौकरी के सिवा । और कुछ भी नहीं कर सकता है ।
5. अवैध प्रतिष्ठान व्दारा । कमाये गए धन व्दारा । खरीदे गये जेवर नग पर । भारत सरकार का । अधिकार होगा ।
6. और सरकारी कर्मचारी । य उसके परिवार को । जीसियो नियम अधिकृत । जमा किए हुए धन मे से । जेवर य नग । उपयोग करने के लिए नहीं मिलेंगे ।

सरकारी कर्मचारी के वैध धन के । अवैध प्रतिष्ठान पर । भारत सरकार का अधिकार

1. यदि सरकारी कर्मचारी । सरकारी नौकरी के । वैध धन से । अवैध । प्रतिष्ठान चला रहा है । तो
2. सभी । स्कूल । कालेज । य कोई भी शिक्षण संस्थान । टियूशन क्लासेस । दुकान । होटल । लाज । जमीन का व्यापार । खेती । कम्पनी । कारखाना । मिल । ठेकेदारी । ट्रान्स पोर्ट । आदि । अन्य कोई भी काम पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. भारत सरकार । सरकारी कर्मचारी के किसी भी । अवैध प्रतिष्ठान को । सरकारी कर्मचारी को न देकर । किसी अन्य योग्य व्यक्ति को । उचित भाडे पर चलाने के लिए देगी ।
4. सरकारी कर्मचारी । सरकारी नौकरी के सिवा । और कुछ भी नहीं कर सकता है ।
5. अवैध प्रतिष्ठान व्दारा । कमाये गए धन व्दारा । जीसियो नियम अधिकृत । खरीदे गये जेवर नग पर । सरकारी कर्मचारी का अधिकार होगा ।
6. जीसियो नियम अधिकृत । खरीदे गये अधिक जेवर नग पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
7. और सरकारी कर्मचारी । य उसके परिवार को । जीसियो नियम अधिकृत । जमा किए हुए धन मे से । जेवर य नग । उपयोग करने के लिए मिलेंगे ।

छोटे बड़े ब्यापारी को सिर्फ वैध धन देने के नियम

1. भारत के छोटा य बडा ब्यापारी के । 21 वर्ष की उम्र से । सभी । स्कूल । कालेज । य कोई भी शिक्षण संस्थान । टियूशन क्लासेस । दुकान । होटल । लाज । जमीन का व्यापार । खेती । कम्पनी । कारखाना । मिल । ठेकेदारी । ट्रान्स पोर्ट । आदि । अन्य कोई भी काम पर ।
2. आज तक उसने । जितने धन का । टैक्स दिया है । वही धन । कार्ड पर अंकित होगा । अवैध धन पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. ब्यापारी । य उसके परिवार को । जीसियो नियम अधिकृत । जेवर य नग । उपयोग करने के लिए मिलेंगे ।

जय विश्व अग्रणी भारत की